नवीकरण प्रमाण पत्र कमांक 124074

प्रारूप – 9

नियम 8 (2) देखिये

संख्या 6069 दिनांक 18-2-19

सोसाइटी के नवीकरण का प्रमाण–पत्र
(अधिनियम संख्या 21 , 1860 के अधीन)

नवीकरण संख्या 2613 पत्रावली संख्या एजी–48315 दिनांक 2008-2009

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि सॉईनाथ विकास समिति
, बरौली अहीर शमसाबाद रोड आगरा।
.....को

दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र 2130 / 2008–09 दिनांक 29-12-2008 को दिनांक 29-12-2018 से पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीकृत किया गया है ।

1100 .....रूपये की नवीकरण फीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी है ।

जारी करने का दिनांक 16-02-2019

सोसाइटी के रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 2 सो० फर्म एवं चिट्स–21–11–2014–(1374)–2,00,000 प्रतियां–(क० / टी० / आफसेट)।

Scanned with CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

रु.10

TEN RUPEES

Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

70AC 323735

यह जनरल स्टाम्प पेपर सौत नाथ विकास समिति / बरौली अहीर, शमसाबाद रोड आगरा /
जिला आगरा फाइल नं० पी 48315
के द्वारा प्रमाणित है।
प्रबन्ध समिति वर्ष 2015-16

क्षेत्रीय कार्यालय उप निबन्धक सोसाइटीज
सत्यमेव जयते
उत्तर प्रदेश, आगरा

उप निबन्धक
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
आगरा मंडल, आगरा
23.6.16

Scanned with CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

रु.10

TEN RUPEES

Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

70AC 323124

यह अबद्ध स्टाम्प पेपर सौहार्द विकास समिति / बरौली अहीर शमशाबाद रोड आगरा।
जिला आगरा कोड नं० के साथ संलग्न है। 48315
संशोधित ज्ञापन

सत्यमेव जयते
उत्तर प्रदेश, आगरा

उप निबन्धक
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
आगरा

संशोधित स्मृति पत्र

1.संस्था का नाम – सांईनाथ विकास समिति .
2.संस्था का पता – बरौली अहीर शमसाबाद रोड, आगरा
3.संस्था का कार्यक्षेत्र – सम्पूर्ण भारतवर्ष होगा।
4.संस्था के उद्देश्य –

1– शिक्षा के विकास हेतु प्राईमरी शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा व्यवस्था हेतु स्कूल, कालेज, डिग्री कॉलेज, पी0 जी0 कॉलेज, इन्जीनियरिंग कॉलेज,मैडीकल कॉलेज, की स्थापना करना तथा निःशुल्क दूरस्था शिक्षा, तकनीकी, औद्योगिक, एवं ग्रामोद्योगी व कृषि शिक्षा संस्थानों, की स्थापना करना व उनका विधिवत संचालन कर युवक/युवतियों कोस्वावलम्बी एवं आत्म निर्भर बनाना एवं मैडीकल, आयुर्वेदिक, यूनानी होम्योपैथिक, विश्वविद्यालय की स्थापना करना ।

2– मजदूरों/कारीगरों को तकनीकी शिक्षा प्रदान करना व उन्हें शिक्षित कर उनके जीवन स्तर को ऊँचा उठाना शिक्षा के प्रति उन्हें जागरूक करना तथा उनके बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा संस्थानों, चिकित्सा संस्थानों की स्थापना करना बच्चों की सुविधा हेतु पुस्तकालय वाचनालय, छात्रावास, क्रीडा केन्द्रों,व्यायामशाला, आवासीय विद्यालय की स्थापना करना तथा निर्धन, अनाथ, अपंग, बच्चों मेंधावी बच्चों को छात्रृत्तियॉ दिलाना। खेलों को बढावा देना तथा समय समय पर खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन करना तथा उत्कृष्ट/विजेता खिलाडियों को पुरस्कृत करना।

3– नागरिकों के सर्वागीण विकास हेतु शहरी एवं ग्राम्य क्षेत्र के पिछडे एवं मलिन बस्तियों में स्वच्छता, साक्षरता, परिवार नियोजन, मातृ शिशु पोषण, महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम, बाल टीकाकरण, कार्यक्रमों गर्भवती महिलाओं का निःशुल्क स्वास्थ्य प्रशिक्षण आदि कार्यक्रम चलाना तथा उनके कल्याण हेतु सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की उन्हें जानकारी देना एवं समय–समय पर जागरूकता शिविरों का आयोजन करना ।

4– नागरिकों में सामाजिक जनचेतना जागृत कराना एवं विज्ञापन पोस्टर बैनर आदि के माध्यमसे एड्स एवं हैपेटाइटिस बी आदि जानलेवा बीमारियों से बचने के उपाय सुझाना एवं इन पर प्रभावी अंकुश लगाने का भरसक प्रयास करना एवं मद्यनिषेध कार्यक्रमों को व्यापक स्तर पर चलाना ।

5– संस्था का उद्देश्य समय–समय पर सॉस्कृतिक कार्यक्रमों, गोष्ठियों, स्वास्थ्य रक्षा शिविरों, राहत शिविरों,नेत्र रक्षा शिविर, जनजागृति शिविरों, कला –प्रदर्शनी, का आयोजन करना तथा निःशुल्क प्रौढ शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा कार्यकम,बालश्रम उन्मूलन कार्यकम गरीबी उन्मूलन मद्य निषेध कार्यकम चलाना।

6– देश–विदेश एवं प्रदेश की समान उद्देश्यों वाली संस्थाओं से सम्पर्क स्थापित करना एवं उनका सहयोग करना एवं ऐसी संस्थाओं से वित्तीय, अनुदान, ऋण सहयोग प्राप्त कर समाज विकास हेतु विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रम चलाना ।

7– युवाओं में राष्ट्रीय एकता, सामुदायिक विकास आपसी सद्भावना जैसे–मूल्यों का विकास करना तथा उनके प्रचार प्रसार में सहयोग देना राष्ट्रीय विकास और समाज सेवा के कार्यक्रमों के संचालन में सहयोग प्रदान करना ।

8– समाज के पिछडे/उपेक्षित वर्ग के लोगों को शैक्षणिक, सामाजिक, बौद्धिक विकास हेतु प्रोत्साहित करना/प्रमोद गृह एवं मनोरंजन केन्द्रों की सथापना और नि'शुल्क व्यवस्था करना, उच्च शिक्षा के प्रसार के लिये विश्वविद्यालय की स्थापना करना ।

सत्य प्रतिलिपि

...2...पर

Tara Rani

Scanned with CamScanner

9– संस्था का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों एवं शहरी क्षेत्रों में नागरिको की सुविधा हेतु सामुदायिक केन्द्रों, धर्मशाला, एवं अन्य धर्मार्थ संस्थाओं, शिक्षा संस्थानों, निःशुल्क औषधालयों का निर्माण व उसके संचालन की पूर्ण व्यवस्था करना गर्मियों मे प्याऊ तथा जाडों में रैन बसेरे की व्यवस्था करना।

10– केन्द्रीय एवं राज्य सरकार के सहयोग से चलाई जा रही योजनाओं के तहत ग्रामीण क्षेत्रों एवं शहरी क्षेत्रों में गन्दे पानी की निकासी हेतु नाली, कच्चे–पक्के नालों का निर्माण एवं मार्ग को जोडने के लिये सरकार के सहयोग से पुलों का निर्माण कराना/करना ।

11– योग प्राकृतिक तथा भारतीय पुरातन व नवीन चिकित्सा पद्धति के माध्यम से विभिन्न संक्रामक व असाध्य रोगों से नागरिकों को मुक्त कराने का प्रयास करना तथा शारीरिक शिक्षा केन्द्रों, योग साधना केन्द्रों व निःशुल्क चिकित्सा/औषधालय की स्थापना करना।

12– आश्रित महिलाओं एवं अनाथ बच्चों के कल्याण हेतु समय–समय पर विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रम चलाना, ऑगनवाडी, बालवाडी, नारी निकेतन, प्रौढ शिक्षा केन्द्रों, अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम सांस्कृतिक कला केन्द्रों, व बाल श्रमिक बच्चों के उत्थान हेतु बाल श्रमिक विद्यालय की स्थापना कर उनके उत्थान हेतु कार्य करना सेवक, योजना द्वारा– अल्पआयु के बच्चों को श्रमिक के रूप में सेवा योजित न होने देना ।

13– शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु केन्द्रीय एवं राज्य सरकार निगम तथा बोर्ड आदि के सहयोग से सम्बन्धित विभागों एवं मंत्रालयों द्वारा क्षेत्र के विकास हेतु विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं जैसे–शुद्ध पेयजल की व्यवस्था व पानी की समस्या हेतु हैण्डपम्प, टंकी लगवाना, क्षेत्र को मुख्य सम्पर्क मार्ग से जोडने हेतु सड़क खडन्जा तथा मलिन बस्तियों का सुधार सफाई, व शौचालयों सामुदायिक केन्द्रो, आश्रय स्थलों की स्थापना करना/निर्माण कराना तथा लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोडने का प्रयास करना ।

14– कृषि प्रधान देश में किसानों की सोचनीय दशा को ध्यान में रखते हुए उन्नत कृषि को बढावा देना व उन्नत कृषि के बारे में किसानों को कृषि विशषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण देना तथा किसानों में परस्पर एकता की भावना पैदा करें उन्नति कृषि को अपनाने पर बल देना, जैविक खाद के उपयोग प्रचार–प्रसार तथा किसानों को इसकी उपयेागिता के बारे में जानकारी प्रदान करना ।

15– पर्यावरण सन्तुलन बनाये रखने एवं प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों तथा विद्यालयों में वृक्षारोपण कराना एवं पौधशाला की स्थापना करना एवं ऊसर खाली पडी बंजर भूमि पर सरकार के माध्यम से सघन वृक्षीकरण करना एवं वनीकरण को बढावा देना ।

17– कुष्ठ रोग, क्षय रोग, (टी0वी0) आदि के बचाव के लिये जगरूकता कार्यक्रम चलाना।

18– परिवार कल्याण से सम्बन्धित सभी प्रकार के जनहित कार्यो को करना एवं केन्सर ,चर्म रोग, पोलियो, प्लेग, एवं संक्रामक बीमारियों के सम्बन्ध में जागरूकता कार्यक्रमों का संचालन प्रचार एवं प्रसार करना एवं नागरिकों के स्वास्थ्य हेतु स्वास्थ्य कैम्पों की व्यवस्था करना तथा स्वास्थ्य का परीक्षण एवं भयानक रोग से बचाव हेतु उपायों को प्रचारित करना ।

19– चिकित्सा शिविर लगाकर रोगों का परीक्षण करवाना, पोलियो, आदि के टीका एवं प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध करवाना ।

20– निर्धन एंव अनाथ लोगों व पिछडे क्षेत्रों के विकास हेतु केन्द्रीय एंव राज्य सरकार केसम्बन्धित विभागों मंत्रालयों जैसे स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय,यूनीसेफ,हडको, महिला एंव बाल विकास विभाग,कपार्ट,काई,सिप्सा, नावार्ड, आवार्ड, नौराड, डूडा,सूडा, सिडवी,राष्ट्रीय, महिला कोष,बाल विकास पुष्टाहार,महिला कल्याण एंव बाल कल्याण निधि महिला कल्याण निगम,राष्ट्रीय

....3.....पर

Tara Rani

Scanned with CamScanner

बाल भवन वस्त्र शिल्प हस्तमंत्रालय ,पर्यावरण मंत्रालय,मत्स्य विभाग, समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड,मानव संसाधन विकास मंत्रालय, श्रममंत्रालय,राजीव गॉधी फाउन्डेशन,विश्व स्वास्थ्य संगठन, विज्ञान एंव प्रौद्योगिकी परिषद आदि के वित्तीय सहयोग से चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं व कार्यकमों को चलाकर नागरिकों का सर्वागीण विकास करना ।

21– समाज की निर्धन कन्याओं का दहेज रहित सामूहिक विवाहें का आयोजन कराना एवं परित्यक्ताओं व विधवाओं को पुर्नविवाह हेतु प्रेरित करना ।

22– केन्द्रीय एवं राज्य सरकार, निगम बोर्ड, सम्बन्धित विभागों के वित्तीय सहयोग से युवक–युवतियों के कल्याण हेतु व उन्हें आत्म निर्भर व स्वावलम्बी बनाने हेतु सुलभ रोजगारपरक प्रशिक्षण जैसे–सिलाई, कढाई, बुनाई, कताई, हस्तशिल्पकला, वास्तुकला, दस्तकारी, दरी, कालीन, ड्रॉइंग, पेन्टिंग कला प्रशिक्षण, टंकण, आशुलिपि, एवं कम्प्यूटर प्रशिक्षण (हार्डवेयर, साफ्टवेयर, इन्टरनेट) इलैक्ट्रिक, इलैक्ट्रोनिक्स, फैशन डिजायनिंग, ब्यूटीशियन, टैक्सटाइल्स डिजायनिंग, आदि का प्रशिक्षण देकर उन्हे आत्मनिर्भर बनाना, तथा उनमें जागरूकता पैदा करना ।

23– सोसायटी अपने कार्यो व सहयोग के लिये अन्य समान उद्देश्यों वाली सोसायटी संस्थाओं से सम्पर्क स्थापित कर सकती है जिनका उद्देश्य भी समाजसेवा ही हो एवं अपने कार्यो को उन सोसायटियों/संस्थाओं के सहयोग से संचालित कर सकती है या उसे ऐसी सोसायटी/संस्था को स्थानान्तरित कर सकती है।

24– संस्था के विकास उद्देश्यों के लिये बैक व अन्य वित्तीय संस्थाओं से ऋण व सदस्यता/ अनुदान आदि प्राप्त करना ।

25– संस्था का उद्देश्य टैक्नीकल, पॉलीटैक्निकल, महाविद्यालयों की स्थापना करना ।

26– बी ए एल एल बी, एलएलबी, एवं बी सी आई द्वारा अनुमोदन प्रदान किये जाने वाले अन्य कोर्सो के लिये कॉलेज की स्थापना एवं संचालन करना ।

27– ऐलोपेथी, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, सिद्धा योगा, नैचुरोपैथी, आदि चिकित्सा पद्धति के कॉलेज की स्थापना एवं संचालन करना एवं इन चिकित्सा पद्धति की शिक्षा का प्रसार करना एवं इन चिकित्सा पद्धतियों के अस्पताल का निर्माण एवं संचालन करना।

28– नर्सिंग के विभिन्न कोर्सो (ए एन एम, जी एन एम, बी एस सी नर्सिंग आदि) हेतु कॉलेज की स्थापना एवं संचालन करना ।

29– टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम (बी एड, बी टी सी, डी.ईडी आदि) एवं एन सी टी ई द्वारा अनुमोदन प्रदान किये जाने वाले अन्य कोर्सो के कॉलेज की स्थापना एवं संचालन करना ।

30– डिप्लोमा ऑफ फार्मोसी, बैचलर ऑफ फॉर्मेसी कोर्स के लिये कॉलेज की स्थापना एवं संचालन करना।

31– "यह कि राज्य सरकार/भारत सरकार की विधि द्वारा स्थापित बोर्डो/विश्व विद्यालयों द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों/उपाधियों हेतु प्रदान किये जाने वाले प्रमाणपत्रों को न प्रदान किया जायेगा और न ही ऐसे पाठ्यक्रम बिना राज्य सरकार/भारत सरकार की अनुमति के संचालित ही किये जायेंगे ।"

सत्य प्रतिलिपि

Tara Rani

Scanned with CamScanner

संशोधित नियमावली

1.संस्था का नाम – सांईना.थ विकास समिति
2.संस्था का पता – बरौली अहीर शमसाबाद रोड, आगरा
3.संस्था का कार्यक्षेत्र – भारतवर्ष
4.संस्था का उद्देश्य – संलग्न स्मृति पत्र के अंकितानुसार।
5.संस्था की सदस्यता तथा सदस्यों के वर्ग –

1.संरक्षक सदस्य –
जो सज्जन इस संस्था को 1000/– रूपये या इससे अधिक मूल्य की कोई अचल या चल सम्पत्ति देगा वह सज्जन इस संस्था का संरक्षक सदस्य बनाया जायेगा

2. आजीवन सदस्य –
जो सज्जन इस संस्था को एक मुश्त 500/– रूपया सदस्यता शुल्क के रूप मे देगा अथवा इतने या इससे अधिक मूल्य की कोई अचल चल सम्पत्ति देगा वह सज्जन इस संस्था का आजीवन सदस्य बनाया जायेगा ।

3.साधारण सदस्य –
जो सज्जन इस संस्था को प्रति वर्ष 250/–रूपया देगा वह सज्जन इस संस्था का साधारण सदस्य बनाया जायेगा

4.विशिष्ट सदस्य –
ऐसे सज्जन जिनकी आवश्यकता इस संस्था को महसूस हो रही होगी एंव संस्था का तन,मन,धन से सहयोग करने के लिऐ तत्पर रहते हो व जो विद्वान होंगें सरकार द्वारा सम्मानित एंव उपाधि प्राप्त सदस्या जनप्रतिनिधि सदस्यों को वर्तमान कार्यकारिणी दो वर्ष के लिए संस्था का विशिष्ट सदस्य मनोनीत करेगी ऐसे सदस्य सदस्यता शुल्क से मुक्त होंगें उनकी स्वेच्छा से दिया गया दान एव चंदा संस्था को स्वीकार होगा ऐसे सदस्यों को चुनाव में मत देने अथवा भाग लेने का अधिकार न होगा ।परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे सदस्यो की संख्या 5 से अधिक न होगी ।

6. सदस्यता की समाप्ति –

1. मृत्यु होने पागल या दिवालिया होने पर।
2. सदस्यता शुल्क समय से अदा न करने पर।
3. संस्था की लगातार तीन बैठकों में बिना किसी कारण बताये अनुपस्थित होने पर।
4. किसी सदस्य के विरूद्व 2/3 बहुमत से अधिक मतों से अविश्वास का प्रस्ताव पास होने पर।
5. त्यागपत्र दिये जाने पर व उसे आम सभा के द्वारा पास होने पर।
6. न्यायालय द्वारा दंण्डित होने पर।
7. संस्था के अहित में कार्य करने पर।

सत्य प्रतिलिपि

..2 पर

Scanned with CamScanner

7.संस्था के अंग :- 1. साधारण सभा 2. प्रबन्धकारिणी समिति।

8.साधारण सभा - गठन –

साधारण सभा का गठन संस्था के सभी सदस्यो को मिलाकर किया जायेगा।

बैठक –

साधारण सभा की सामान्य बैठक वर्ष में एक तथा विशेष बैठक आवश्यकतानुसार बुलाई जावेगी

सूचना अवधि –

साधारण सभा की सामान्य बैठक की सूचना सदस्यो को 15 दिन पूर्व तथा विशेष बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व दी जावेगी ।

गणपूर्ति – गणपूर्ति के लिऐ कुल सदस्यो की संख्या के 2/3 बहुमत सदस्यो की उपस्थिति का कोरम होगा ।

विशेष वार्षिक अधिवेशन संस्था का विशेष वार्षिक अधिवेशन प्रति वर्ष सत्र समाप्ति पर होगा जिसकी तिथि प्रबन्धकारिणी समिति के 2/3 बहुमत से तय कर ली जावेगी ।

साधारण सभा के अधिकार व कर्तव्य –

1. प्रबन्धकारिणी समिति का समयसमय पर निर्वाचन सम्पन्न करवाना।
2. संस्था के नियमों विनियमों में संशोधन परिवर्तन परिवर्धन 2/3 बहुमत से करना।
3. संस्था का वार्षिक बजट व वार्षिक कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करवाना ।

9. प्रबन्धकारिणी समिति -

गठन – प्रबन्धकारिणी समिति का गठन संस्था के आम सभा के 2/3 बहुमत से सदस्यो को चुनकर किया जायेगा जिसमे एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, एक प्रबन्धक/सचिव, एक उपप्रबन्धक/उपसचिव, एक कोषाध्यक्ष तथा शेष कार्यकारिणी सदस्य होंगें। सदस्यों की संख्या आवश्यकतानुसार घटाई/बढाई जा सकती है। जो कम से कम 7 तथा अधिक से अधिक 15 होगी।

बैठक – प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक वर्ष में एक तथा विशेष बैठक आवश्यकतानुसार बुलाई जावेगी ।

सूचना अवधि – प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक की सूचना सदस्यों को 7 दिन पूर्व तथा विशेष बैठक की सूचना 24 घण्टे पूर्व दी जावेगी ।

गणपूर्ति – गणपूर्ति के लिऐ कुल सदस्यो की संख्या के 2/3 बहुमत से अधिक सदस्यो की उपस्थिति का कोरम होगा ।

रिक्त स्थान की पूर्ति – प्रबन्धकारिणी समिति में यदि कोई आकस्मिक स्थान रिक्त हो जाता है तो इस रिक्त स्थान की पूर्ति प्रबन्धकारिणी समिति के 2/3 बहुमत से साधारण सभा में से शेष कार्यकाल के लिऐ कर ली जावेगी

प्रबन्धकारिणी समिति के अधिकार व कर्तव्य :-

1. संस्था के उन्नति व विकास हेतु हर संभव प्रयास करना ।
2. संस्था के नियमों विनियमों में संशोधन परिवर्तन परिवर्धन साधारण सभा के 2/3 बहुमत से करना।

3..पर

सत्य प्रतिलिपि
उप निबंधक
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
आगरा मं०, आगरा
05-214

Scanned with CamScanner

3. संस्था का वार्षिक बजट व वार्षिक कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार कराना।
4. संस्था के विकास हेतु केन्द्रीय एंव राज्य सरकार के सम्बन्धित विभागों / मंत्रालयों एंव अन्य संस्थानों,प्रतिष्ठानों,निकायों,नागरिकों आदि से दान, अनुदान, चंदा एंव बैंक आदि से ऋण एंव वित्तीय सहायता प्राप्त करना। प्राप्त आय को संस्था के हितार्थ एंव चैरिटेबिल कार्यो की पूर्ति हेतु व्यय करना ।

ल. **कार्यकाल** – प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल 5 वर्ष तक का होगा ।

10. पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य –

1. अध्यक्ष –

1– संस्था की ओर से समस्त प्रकार की मीटिगों की अध्यक्षता करना ।
2– मीटिंग बुलाना व स्थगित करना, किसी विषय पर बराबर मत की दशा में अपना निर्णायक मत देना ।
3– संस्था की कार्यकारिणी समिति व साधारण सभा द्वारा स्वीकृत कार्यो को करना व संस्था की आम देखभाल करना ।

उपाध्यक्षः–

अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उनके कार्यो को करना , सामान्य व विषम परिस्थितियों में उनका सहयोग करना ।

प्रबन्धक / सचिव –

1. संस्था की ओर से समस्त प्रकार का पत्राचार करना, मीटिंग बुलाना व उसकी सूचना सदस्यों तक पहुँचाना मीटिंग कार्यवाही लिखना ।
2. संस्था के कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करना व उसका प्रचार–प्रसार करना ।
3. संस्था की अचल–चल सम्पत्ति की सुरक्षा करना, दान, अनुदान, चंदा व सदस्यता शुल्क प्राप्त करना तथा समस्त दस्तावेजों, ऋण, अनुदान चैकों, ड्राफ्टों बैंक चिलेखों बिल बाउचरों पर हस्ताक्षर करना ।
4. संस्था की ओर से समस्त प्रकार की अदालती कार्यवाही की पैरवी करना एंव समस्त अभिलेखों को अपने पास सुरक्षित रखना ।
5. संस्था के अन्तर्गत संचालित संस्थानों मे कार्यरत कर्मचारियों एंव कार्यकर्ताओं की नियुक्ति, निष्कासन, पदोन्नति, एंव पदच्युत करना एंव उनकी सेवा शर्त के नियम बनाना, वेतन भत्ते तय करना व उसका भुगतान करना ।
6. संस्था के विकास हेतु अन्य वे सभी आवश्यक कार्य करना जो संस्था के उद्देश्यो की पूर्ति एंव संस्था विकास में सहायक हों करना ।

उपप्रबन्धक / उपसचिवः–

संस्था के सचिव की अनुपस्थित में उनके द्वारा लिखित रूप में सौंपे गये कार्यो को करना एंव उपस्थित में कार्यो में सहयोग प्रदान करना ।

कोषाध्यक्ष

1– संस्था के आय–व्यय विवरण को रखना ।
2– प्रबन्धक / सचिव द्वारा सौंपे गये कार्यो को करना ।

सत्य प्रतिलिपि

Scanned with CamScanner

11. संस्था के नियमों–विनियमों में संशोधन परिवर्तन प्रकिया –
संस्था के नियमों विनियमों में संशोधन परिवर्तन परिवर्धन साधारण सभा के 2/3 बहुमत से करना।

12. संस्था का कोष एंव लेखा व्यवस्था –
संस्था का कोष किसी राष्ट्रीयकृत बैंक मान्यता प्राप्त बैंक अथवा डाकघर में संस्था के नाम से खाता खोलकर जमा किया जायेगा जिसका संचालन अध्यक्ष, प्रबन्धक/सचिव तथा कोषाध्यक्ष में से किन्हीं दो के संयुक्त हस्ताक्षर अथवा उनके अधिकृत व्यक्ति द्वारा किया जायेगा ।

13. संस्था का लेखा परीक्षण (आडिट) –
संस्था का लेखा परीक्षण प्रति वर्ष सत्र समाप्ति पर किसी योग्य आडीटर अथवा चार्टड एकाउण्टैंट द्वारा किया जायेगा ।

14. संस्था के द्वारा अथवा उसके विरूद्व अदालती कार्यवाही के निस्तारण की उत्तरदायित्व – संस्था के द्वारा अथवा उसके विरूद्व अदालती कार्यवाही के निस्तारण की कार्यवाही प्रबन्धक/ सचिव अथवा उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा की जावेगी।

15. संस्था के अभिलेख –
1– सदस्यता रजिस्टर 2– कार्यवाही रजिस्टर 3– एजैण्डा रजिस्टर 4– स्टाक रजिस्टर 5– कैश बुक आदि ।

16. संस्था के विघटन –
यदि दुर्भाग्यवश संस्था विघटित होती है तो विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही सोसा0रजि0अधि0 की धारा 13 व 14 के अंतर्गत की जावेगी ।

दिनांक–

सत्यप्रतिलिपि

सत्य प्रतिलिपि
उप निबन्धक
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
आगरा मं०, आगरा
05214

संस्था का नाम– सांईनाथ विकास समिति,
बरौली अहीर शमसाबाद रोड, आगरा

प्रबन्धकारिणी समिति की सूची वर्ष– 2015– 2016

क्र.सं.नाम	पता	पद	व्यवसाय
1–श्री जयप्रकाश अग्रवाल	स्व0 श्री मोतीराम अग्रवाल	91 कावेरी विहार फेस–1 राजपुर चुंगी, आगरा	अध्यक्ष	व्यापार
2–श्री हरी सिंह	श्री महेन्द्र सिंह	4/78 बालूगंज,आगरा	उपाध्यक्ष	व्यापार
3–श्री आकाश अग्रवाल	श्री जयप्रकाश अग्रवाल	8/198 टक्कर रोड,पी0 डब्लू0डी0कॉलौनी,आगरा	प्रबन्धक/सचिव	व्यापार
4–श्री मुकुल विदौलिया	श्री बी0आर0विदौलिया	313 शहीद नगर आगरा	उपप्रबन्धक/उपसचिव	व्यापार
5–श्री अरविन्द कुमार	श्री विद्यानन्द सिंह	56/125 वी0आई0पी0 रोड, अजीत नगर,आगरा	कोषाध्यक्ष	व्यापार
6–श्री चन्द्रप्रकाश अग्रवाल	श्री जयप्रकाश अग्रवाल	सांईनाथ कॉलेज कामायनी हॉस्पीटल के सामने,होली पब्लिक स्कूल, सिकन्दरा आगरा	सदस्य	शिक्षक
7–ऊषा रानी	स्व0 भागीरथप्रसाद	6 जवाहर बाग, दयाल बाग, आगरा	सदस्य	शिक्षिका
8–श्री राजेन्द्र सिंह	श्री दान सिंह	सैनिक नगर, राजपुर चुंगी, आगरा	सदस्य	व्यापार
9–श्री गौरव मित्तल	श्री प्रमोद मित्तल	4/1 बालूगंज,आगरा	सदस्य	व्यापार
10–श्री हेमन्त	श्री पंकज गुप्ता	शहजादी मण्डी,आगरा	सदस्य	व्यापार
11–श्रीमती तारा रानी	श्री पंकज गुप्ता	06 जवाहर बाग, दयाल बाग, आगरा	सदस्य	गृहकार्य

सत्य प्रतिलिपि

उप निबंधक
फर्म सोसाइटीज एवं चिट्स
आगरा मंडल, आगरा

Secretary
Sai Nath Vikas Samiti

L-5-15-58

Scanned with CamScanner